नवीन प्रकरण - 1370/2016

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016 निग – 1370 – I – 16

प्रवीण प्रताप सिंह पुत्र श्री केशव सिंह, निवासी ग्राम बुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र. ——आवेदक

विरुद्ध

1. दशरथ सिंह पुत्र श्री बाबु सिंह, निवासी ग्राम बुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.
2. रंजीत सिंह पुत्र श्री मातवर सिंह,
3. फूलबती पुत्री श्री मातवर सिंह,
4. किशोरी देवी पुत्री श्री मातवर सिंह,
5. शांती पुत्री श्री मातवर सिंह,
6. साहब सिंह मृत द्वारा वारिसान श्रीमती गिरजा देवी विधवा पत्नी साहब सिंह
7. राम गोपाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह,
8. अहिबरन सिंह पुत्र श्री राम सिंह,
9. रामपाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह,
10. अजय प्रताप सिंह पुत्र श्री राम सिंह,
11. संजय प्रताप सिंह पुत्र श्री माधौ सिंह,
12. कृष्ण कुमारी बेवा माधौ सिंह
13. शिखर सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह,
14. सरोज देवी पत्नी आनन्द सिंह
15. अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री केशव सिंह,
16. विजय कुमारी बेवा श्री केशव सिंह,

समस्त जाति ठाकुर, समस्त निवासीगण ग्राम बुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

--अनावेदकगण

दिनांक 2-5-16 को विनोद भार्गव अधि० द्वारा प्रस्तुत।

ह० 2-5-16

50

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
2-5-2016

न्यायालय तहसीलदार, तहसील पोरसा जिला मरैना द्वारा रा. प्रकरण क्रमांक 47/2014–15अ/27 में पारित आदेश दिनांक 05/04/2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक एवं अनावेदकगण के संयुक्त खाते की भूमि स्थित ग्राम बुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना के विभाजन हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 178 के अधीन प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1370-एक/2016 जिला मुरैना

प्रवीणप्रताप विरूद्ध दशरथ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
11-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पोरसा जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 47/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05-04-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 11.3.19 सदस्य	